UPKN010066202026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

उपस्थितः अनमोल पाल, एच0जे0एस0

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2279/2026

यश कुमार आयु 23 वर्ष पुत्र स्व0 राज किशोर, निवासी 85/327 लक्ष्मीपुरवा थाना रायपुरवा, कानपुर नगर।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... विपक्षी

मु0अ0सं0–232/2026
धारा–108, 351(3), 352 बी0एन0एस0
थाना–बिठूर, कानपुर नगर

08.07.2026

1. वर्तमान प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त यश कुमार की ओर से मुकदमा अपराध सं0 232/2026 धारा 108, 351(3), 352 बी0एन0एस0 थाना बिठूर, कानपुर नगर में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी अंजली प्रजापति की बहन अर्चना प्रजापति को यश कुमार द्वारा किसी दूसरे नंबर से इंस्टाग्राम आईडी बनवा कर ब्लैकमेल करवाया था, चूंकि इसे उसकी बहन की पिछली लाइफ की सारी बातें पता था इसी के आधार पर यश ने उसकी बहन को ब्लैकमेल किया और आत्महत्या के लिए उकसाया जिससे परेशान होकर उसकी बहन अर्चना ने आत्महत्या कर ली। यश ने उसकी बहन से छुप कर शादी भी कर ली थी यह बात उसे पोस्टमार्टम वाले दिन पता चला जब उसने यश से शादी के बारे मे पूछा तो यश ने उससे झूठा बोला कि ऐसा कुछ हमने नहीं किया गया मैने अर्चना से शादी नहीं की और यश ने पूछतांछ के दौरान मंधना चौकी पर उसकी मॉ को गंदी–गंदी गाली दी और इनके परिवारीजन ने उन लोगो को धमकी दी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए नहीं तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उसकी बहन अर्चना प्रजापति ने दिनांक 23.05.2026 को शाम 5.30 से 6.30 के बीच फांसी लगायी थी।
3. उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 04.06.2026 को समय 18.52 बजे थाना बिठूर, कानपुर नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 232/2026 अन्तर्गत धारा 108, 351(3), 352 बी0एन0एस0 अभियुक्तगण यश कुमार व यश के परिजन के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।
4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कहा गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसकी अर्चना से नौकरी के सिलसिले मे भेंट होने के बाद उससे कई बार मोबाइल फोन

से आपस मे बातचीत होने लगी। अभियुक्त व अर्चना प्रजापति के मध्य औपचारिक बातचीत एवं विवाह कर लेने की भी बात चल रही थी। दिनांक 23.05.2026 को सुबह एक दो बार फोन पर बात हुयी थी, सब कुछ सामान्य था। अभियुक्त के मोबाइल फोन पर एक इंस्टाग्राम मैसेज अज्ञात व्यक्ति के नाम से आया जिसमे उस व्यक्ति द्वारा अर्चना प्रजापति के संबंध मे अपने स्वयं के संबंध होने तथा आवेदक को संबंध न रखने के लिए धमकी देकर चेतावनी दी थी। जिसके संबंध मे उसने अर्चना को बातचीत कर इस घटना की बात बतायी थी। इंस्टाग्राम पर भेजी गयी पोस्ट मे अज्ञात लड़के द्वारा बहुत ही घिनौनी तथा गंभीर चारित्रिक आरोप अर्चना पर लगाए थे। आवेदक को यह ज्ञात हुआ कि अर्चना प्रजापति द्वारा इंस्टाग्राम पर सूचना शेयर करने वाले को अर्चना ने उससे बातचीत की थी, इस बातचीत मे उस व्यक्ति ने अर्चना को निश्चित रूप से डराने धमकाने या ब्लैकमेल करने की साजिश की क्योंकि उनकी आपसी बातचीत के बाद अर्चना मे दिनांक 23.05.2026 को दोपहर 4.30–5.00 के लगभग आत्महत्या कर ली। अभियुक्त को दुर्भावनावश अर्चना प्रजापति की सगी बहन अंजली का मंगेतर अंकित प्रजापति झूठे मामले मे फसाकर जेल भिजवाने की साजिश मे है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः अग्रिम जमानत स्वीकार की जाए।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनवाकर मृतका को ब्लैकमेल किया गया जिसकी प्रताड़ना से परेशान होकर मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी। शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतका के गले पर लिगेचर मार्क पाया गया है तथा मृत्युपूर्व गले से लटकने के कारण उसकी मृत्यु हुयी है। विवेचक द्वारा मोबाइल के स्क्रीनशाट को साक्ष्य मे संकलित कर केस डायरी के साथ संलग्न किया गया है, अपराध मे अभियुक्त की संलिप्तता रही है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादिनी अंजली प्रजापति का बयान लेखबद्ध किया गया है जिसने अभियोजन के समर्थन मे साक्ष्य दी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।
6. उभय पक्ष के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।
7. शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतका अर्चना प्रजापति के गले पर लिगेचर मार्क पाया गया है तथा चिकित्सक की राय मे मृत्युपूर्व गले से लटकने के कारण उसकी मृत्यु हुयी है।
8. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा अंजली प्रजापति का बयान लेखबद्ध किया गया है जिसने अपने बयान मे कथन किया है कि उसकी बहन अर्चना प्रजापति पहले सूरज से बात करती थी, बाद मे सूरज से उसका एक साल बाद ब्रेकअप हो गया। बाद मे उसकी बहन अर्चना की यश कुमार से दोस्ती हो गयी थी। यश को उसकी बहन की पास्ट लाइफ की पुरानी जानकारी मिल गई उसके बाद यश द्वारा उसकी बहन अर्चना को किसी दूसरे नंबर से इंस्टाग्राम आर्डडी बनवाकर ब्लैकमेल

करवाया था और आत्महत्या के लिए उकसाया, ब्लैकमेल के डर से परेशान होकर उसकी बहन अर्चना ने आत्महत्या कर ली। यश ने उसकी बहन से छुप कर शादी भी कर ली थी।

9. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा सी0डी0 3 मे मोबाइल के स्क्रीनशाट का अवलोकन अंकित किया गया है जिसमे दिनांक 23.05.2026 को वादिनी की बहन अर्चना की इंस्टाग्राम आईडी यू ए नाम से मैसेज आये कि प्लीज दीदी को मत बताना चाहे आप हमसे बात ना करिये तथा असली सिंह नाम से आईडी से मैसेज है कि ये मुझसे मिलले आयी थी और ये लड़की इसके आफिस के चंदन के साथ भी रह चुकी है। मुझे पता है अब तुम दोनो का अच्छा चल रहा है, पर भाई जैसे तुम उसके घर आकर सो जाते हो मैं भी उसके घर आकर सो जाता था। जैसे तुम उसके साथ नैनीताल घूम कर आये हो वैसे मैं भी मथुरा वुंदावन गया था। मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया बताओ एक साल पहले मेरे साथ घूमने गयी थी और आज तुम्हारे साथ चली गयी ये मुझसे प्रेगनेंट भी हो चुकी है ना यकीन हो तो खुद की कसम देकर पूछना, तुम्हारी छोड़ी हुयी लड़की ही मिली। अभी आज तुम छोड़ जाओगे तो कल दूसरा खड़ा रहेगा वो तुम्हारे तरह घर आकर सोने लगेगा और ये घूमने जाने लगेगी उसके साथ भी जैसे मेरे साथ गयी थी फिर तुम्हारे साथ।
10. अभियुक्त द्वारा इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनवाकर मृतका को ब्लैकमेल करने व उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने का कथानक है। शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतका के गले पर लिगेचर मार्क पाया गया है तथा मृत्युपूर्व गले से लटकने के कारण उसकी मृत्यु हुयी है। विवेचक द्वारा मृतका के मोबाइल के स्क्रीनशाट को साक्ष्य मे संकलित कर केस डायरी के साथ संलग्न किया गया है, जिससे भी अपराध मे अभियुक्त की संलिप्तता दर्शित होती है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद है। प्रकरण आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण का है, मामले मे विवेचना अभी प्रचलित है। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या मामले मे आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता प्रतीत होती है, अतः इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।
11. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों मे आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

12. आवेदक/अभियुक्त यश कुमार का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अनमोल पाल)
आई.डी. यू.पी.1880
सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

दिनांकः 08.07.2026
अनिल

Digitally signed by ANMOL PAL
Date: 2026.07.09 10:57:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court